

पत्र सं0-7/स्थापना व्यय-आवंटन-06/2023-10(7)9/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

नेपाल हाउस, झोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय,
झारखण्ड, राँची,
संबंधित औषधि निरीक्षक।
उपनिदेशक, राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, राँची।
अवर सचिव, राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, नामकुम राँची
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

/स्वा0,राँची,दिनांक : 20/04/2026

विषय: स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 104- औषधि नियंत्रण 24- औषधि नियंत्रण एवं औषधि/खाद्य जाँच प्रयोगशाला के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु कुल ₹ 6,36,81,000/- (छ: करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणी में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	06-लोक स्वास्थ्य	104- औषधि नियंत्रण 24- औषधि नियंत्रण एवं औषधि/खाद्य जाँच प्रयोगशाला	₹ 6,36,81,000/- (छ: करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।


8. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।


10. क्रय संबंधी कार्य सभी नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-06/2023 10(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक- 20/04/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-06/2023 10(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक- 20/04/2026


प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/निदेशक प्रमुख, औषधि/खाद्य झारखण्ड, राँची/संयुक्त निदेशक (औषधि)-सह-क्षेत्रीय अनुज्ञापन पदाधिकारी, द0 छो0 प्र0, राँची-1/संबंधित उप निदेशक (औषधि)-सह-क्षेत्रीय अनुज्ञापन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव


(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100610424000101	60401000
2	संविदा भत्ता	20S22100610424000108	3280000
	कुल		63681000

कुल ₹ 6,36,81,000/- (छः करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	संविदा भत्ता	कुल आवंटित राशि
1	निदेशक प्रमुख, औषधि नियंत्रण निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	8807000	0	8807000
2	औषधि निरीक्षक, राँची-1	13556000	0	13556000
3	औषधि निरीक्षक, राँची-2	4086000	0	4086000
4	औषधि निरीक्षक, चाईबासा	2815000	0	2815000
5	औषधि निरीक्षक, जमशेदपुर	3915000	0	3915000
6	औषधि निरीक्षक, हजारीबाग	12817000	0	12817000
7	औषधि निरीक्षक, धनबाद	5358000	0	5358000
8	औषधि निरीक्षक, पलामू	2815000	0	2815000
9	औषधि निरीक्षक, दुमका	6232000	0	6232000
10	उप निदेशक, राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, राँची।	0	2002000	2002000
11	अवर सचिव, राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, नामकुम राँची	0	1278000	1278000
	कुल	60401000	3280000	63681000

10(7)ख
20/04/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मौग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 06 - लोक स्वास्थ्य & 104 - औषधि नियंत्रण एवं औषधि/खाद्य जौव प्रयोगशाला

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	वेतन	सविदा भत्ता	Total
1	Doranda	DRNMED173	Sujit Kumar	5	6	7	8
2	Doranda	DRNMED047	Pranav Prabhat	Dy. Director (Drugs)S.D.C.Dir.	₹88,07,000.00 (4296)	₹0.00	₹88,07,000.00
3	Ranchi	RNCMED438	Archana Khalkho	Asst.Dr. (Drugs)South Ch.Div.	₹1,35,56,000.00 (4297)	₹0.00	₹1,35,56,000.00
4	Singhbhum West	SGHMED161	Ram Chandra Besra	Drugs Inspector, Ranchi Iv	₹40,86,000.00 (4298)	₹0.00	₹40,86,000.00
5	Jamshedpur	JSRMED342	Md.Abrar Alam	Asst. Director Drugs, W. S	₹28,15,000.00 (4299)	₹0.00	₹28,15,000.00
6	Hazaribagh	HZBMED205	Ranjeet Kumar Choudhary	Drug.Insp.Eastsinghbhum I Jsr.	₹39,15,000.00 (4300)	₹0.00	₹39,15,000.00
7	Dhanbad	DHMED417	Rajesh Kumar	Assistant Director (Drugs)-1	₹1,28,17,000.00 (4301)	₹0.00	₹1,28,17,000.00
8	Palamu	PLMMED166	Pratibha Jha	Drug Inspector,Dhanbad	₹53,58,000.00 (4302)	₹0.00	₹53,58,000.00
9	Dumka	DMKMED243	Utkalmani	Assistant Director Drugs	₹28,15,000.00 (4303)	₹0.00	₹28,15,000.00
10	Doranda	DRNMED274	Dr. Sujit Kumar	Drug Inspector Dumka	₹62,32,000.00 (4304)	₹0.00	₹62,32,000.00
11	Doranda	DRNMED275	Dhiranjan Pd. Sharma	Deputy Director (Drugs) D.C.D Under Secretary	₹0.00	₹20,02,000.00 (4308) ₹12,78,000.00 (4310)	₹20,02,000.00 ₹12,78,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹6,36,81,000.00 (छः करोड छत्तीस लाख इकत्तरास हजार) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन नंबर समझा जाए

10(7)ब
20/04/2026

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY